उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस अपील नं0–24/2018

निरमनी माँझी वगै0

बनाम्

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा

–: आदेश :–

दिनांक 25/8/19

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया निरमनी माँझी वो विशेश्वर माँझी वो दिगम्बर माँझी, पेसरान–गोतम माँझी, सा0–बसंतपुर, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के विविध वाद सं0–02/18–19 (कौशल्या देवी वो निरमनी माँझी वगै0 बनाम् जयराम मिस्त्री वगै0) आदेश दिनांक–24.05.18 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण का आवेदन है कि मौजा–माली नं0–27 जमाबंदी सं0–9 के अंदर दाग नं0–85 कुल रकवा 00–16–00 धुर जमीन अपीलकर्त्तागण के पूर्वज विशु माँझी को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रैयती उच्छेदी केश नं0–2517/34–35 के द्वारा वर्ष 1936 ई0 में प्राप्त हुआ है। अपीलकर्त्तागण के पूर्वज से लेकर आजतक अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर दखलकार है एवं जोत आबाद कर रहें हैं। अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन अडाणी पावर प्लांट के विकास के लिए सरकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त जमीन का क्षतिपूर्ति राशि अपीलकर्त्तागण को प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने विविध वाद सं0–02/18–19 आदेश दिनांक–24.05.18 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के दावा को खारिज किया है, जो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। अपीलकर्त्तागण ने मौजा–माली नं0–27 जमाबंदी सं0–9 दाग नं0–85 कुल रकवा 00–16–00 धुर जमीन का मुआवजा राशि अपीलकर्त्तागण को दिलाने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–522/रा0 दिनांक–13.09.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–माली थाना नं0–27 जमाबंदी नं0–9 रैयत गांगू मड़ैया वल्द लवी मड़ैया कौम बढ़ई शा0 बसंतपुर कुल रकवा

09–13–18 धुर जमीन सर्वे खाता खतियान के पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी नं0–9 के दाग नं0–85 के रकवा 01–06–18 धुर के अंश रकवा (16 कट्ठा) जमीन विवादित है। खतियानी रैयत के वंशावली निम्न प्रकार बतलाया गया :–

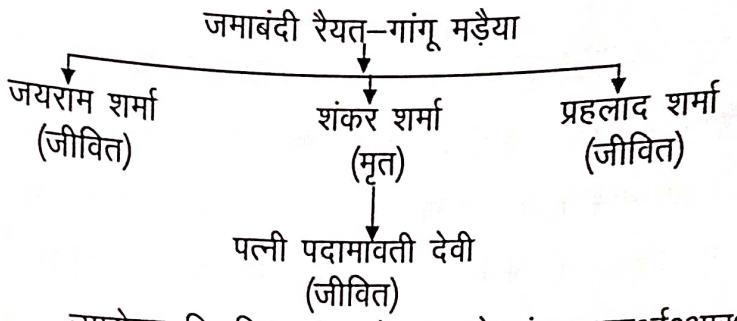

उपरोक्त विवादित दाग नं0–85 के अंदर आर0ई0आर0 केश नं0–2517/34–35 आदेश दिनांक–30.05.36 के द्वारा वीशू माँझी शा0 बसंतपुर को दखल कब्जा दिलाया गया है। विशू माँझी के वंशवृक्ष निम्नलिखित बतलाया गया :–

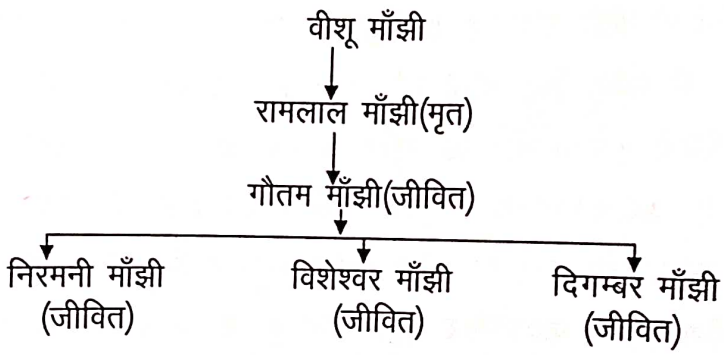

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा आगे प्रतिवेदित किया गया है कि उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि उक्त दाग नं0 के आंशिक भाग (16 कट्ठा) जमीन पर वीशू माँझी के वंशज पोता गौतम माँझी का दखल एवं जोत करते आ रहें हैं। उक्त जमाबंदी नं0–9 दाग नं0–85 से संबंधित मामला Court of principle Dist. Judge cum Land Acquisition-Rehabilitation and Resettlement Authority, Dumka Suit No. LA 48 of 2018 कौशल्या देवी व निरमनी माँझी वगै0 बनाम् जयराम मिस्त्री वगै0 से चल रहा है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा–माली नं0–27 जमाबंदी सं0–9 दाग नं0–85 रकवा 01–06–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गांगू मड़ैया वल्द लाबी मड़ैया के नाम से दर्ज है। उक्त

जमीन को अडानी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित किया गया है। अपीलकर्त्तागण का दावा आर0ई0आर0 केश नं0–2517/34–35 आदेश दिनांक–30.05.1936 के आधार पर है। जिसका सत्यापन आवश्यक है। उनका आगे मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उसी जमीन का विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह–भू–अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में सूट नं0–एल0ए0 48/18 लंबित है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का आवेदन चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञ सहायक सरकारी वकील के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि मौजा–माली नं0–27 जमाबंदी सं0–9 कुल रकवा 09–13–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गांगू मड़ैया वल्द लवी मड़ैया के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–85 रकवा 00–16–00 धुर जमीन आर0ई0आर0 केश नं0–2517/34–35 आदेश दिनांक–30.05.1936 के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने उच्छेदी से प्राप्ति के दावा के आधार पर अपीलकर्त्तागण के मुआवजा भुगतान के दावा को खारिज किया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उसी जमीन से संबंधित मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–भू–अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार उक्त आदेश से मामला प्रभावित होगा। अतः इस न्यायालय में इस स्तर पर कोई निर्णय देना अपरिपक्व होगा। मामला विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–भू–अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में लंबित मानते हुए प्रक्रिया समाप्त की जाती है। विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–भू–अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका के न्यायालय में निर्णय होने के बाद अपीलकर्त्ता चाहे तो पुनः वाद वापसी का आवेदन देकर वाद प्रारम्भ करा सकते हैं। आदेश की प्रति विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–भू–अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, दुमका को भेजा जाय।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:14:58 +05:30
Location: 192.168.29.32

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।